

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर

क्रमांक/राजस्व/2023/142

दिनांक: 18/5/2023

-:: रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश ::-

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज-8/2003 / पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के अन्तर्गत ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार मण्डल श्रीमाधोपुर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 1841, 1842, 1843, 1845, 1854, 1856, 1859, 1862, 1860 में स्थित रास्ते का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा सलग्न निर्णयानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शिविर प्रमोक्षि अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी- श्रीमाधोपुर  
पंचायत श्रीमाधोपुर

दिनांक: 18/5/2023

क्रमांक/सम/ 142

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त .....
3. पटवारी हल्का .....

शिविर प्रमोक्षि अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी- श्रीमाधोपुर  
पंचायत श्रीमाधोपुर

